

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्र प्राप्ति A No. 18/03/2020
अपरी सं० 89
दिनांक 18/03/2020

पत्रांक: 3078 एम०टी०/सामान्य वर्ग/54एम-194/2000

दिनांक: 6/03/2020

कार्यालय-ज्ञाप

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2016 में सम्पादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं०-4 के प्रस्तर-7.5 में उल्लेख किया गया है कि अनुबन्ध सं०-25/एस०ई०-271यात-बस्ती वृत्त/2011-12 दिनांक 23.12.11 (पीलीभीत बहराईच बस्ती मार्ग के किमी-416.00 से 424.2700 में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण तथा किमी-390.00 से 395.00 में चौड़ीकरण कार्य हेतु) अनुबन्ध सं०-24/एस०ई०/253यात-बस्ती वृत्त/10-11 दिनांक-14.03.11 (पीलीभीत बहराईच बस्ती मार्ग (एस०एच०-26)के किमी 405.00 से 415.00 में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु) एवं अनुबन्ध संख्या-14/एस०ई०-244यात-बस्ती वृत्त/2009-10 दिनांक 30.03.10 (पीलीभीत बहराईच बस्ती मार्ग (एस०एच०-26) के किमी 395.00 से 405.00 में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु) अनुबन्ध गठन से पूर्व आमंत्रित निविदा में वर्तमान नाम-ट्राइविज इन्फ्राकान प्रा०लि०, 9सी, हिमान्यु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ(तत्कालीन नाम-मेसर्स साकेत निर्माण एफ०एफ०-7 ए०बी०सी० काम्पलैक्स 6 क्वाटन रोड कैसरबाग लखनऊ) एवं मेसर्स अभ्युदय हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, श्रीराम टावर, 13ए, अशोक मार्ग, लखनऊ ने भाग लिया था। मेसर्स अभ्युदय हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन प्रा०लि० में निदेशक-श्री मनोज कुमार अग्रवाल, श्रीमती सुमन अग्रवाल, श्री अजन्त कुमार अग्रवाल एवं श्रीमती रीमा सिंघल हैं, और वर्तमान नाम-ट्राइविज इन्फ्राकान प्रा०लि०(तत्कालीन नाम-मेसर्स साकेत निर्माण) में साझेदार श्री अजन्त कुमार अग्रवाल की पत्नी श्रीमती सुमन रानी अग्रवाल, पुत्र श्री पीयूष अग्रवाल एवं श्री राम किशोर पाण्डेय थे। वर्तमान में पुनः श्री पीयूष अग्रवाल एवं श्री राम किशोर पाण्डेय निदेशक हैं। दोनो फर्म/कम्पनी संयुक्त उद्यम में कार्य कर रही हैं। इस प्रकार वर्तमान नाम-ट्राइविज इन्फ्राकान प्रा०लि०(तत्कालीन नाम-मेसर्स साकेत निर्माण) ने आपसी मिलीभगत से निविदा प्राप्त कर उक्त अनुबन्ध गठित कराया है। जिसके कारण निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं हुई और राजस्व की हानि हुयी है। इस प्रकार ट्राइविज इन्फ्राकान प्रा०लि०(तत्कालीन नाम-मेसर्स साकेत निर्माण) द्वारा आपसी सांठ-गांठ कर अनियमित कार्य किया गया है।

मेसर्स साकेत निर्माण एफ०एफ०-7 ए०बी०सी० काम्पलैक्स 6 क्वाटन रोड कैसरबाग लखनऊका पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक-3877एम०टी०/सामान्य वर्ग/54एम-194/2000, दिनांक 20.09.2000 एवं अन्तिम नवीनीकरण कार्यालय ज्ञाप सं०-2713एम०टी०/सामान्य वर्ग/54एम-194/2000, दिनांक 09.06.11 द्वारा दि० 30.06.13 तक के लिए किया गया था, जिसमें साझेदार श्री राम किशोर पाण्डेय, श्रीमती सुमन रानी अग्रवाल एवं श्री पीयूष अग्रवाल थे। उक्त फर्म का टेकओवर अब नाम व पता परिवर्तित कर ट्राइविज इन्फ्राकान प्रा०लि०, 9सी, हिमान्यु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ में हो जाने के कारण पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक-5032एम०टी०/सामान्य वर्ग/54एम-194/2000, दिनांक-13.07.2012 एवं अन्तिम नवीनीकरण कार्यालय ज्ञाप सं०-4685एम०टी०/सामान्य वर्ग/54एम-194/2000, दिनांक 25.06.15 द्वारा दि० 30.06.18 मार्ग श्रेणी 'ए' में किया गया था, जिसमें श्री राम किशोर पाण्डेय एवं श्री पीयूष अग्रवाल निदेशक हैं।

उक्त प्रकरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2016 में सम्पादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं०-4 के प्रस्तर-7.5 के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र सं०-7187एम०टी०/सा० वर्ग/54एम-194/2000, दिनांक-20.06.2019 एवं पत्र सं०-12748एम०टी०/सा० वर्ग/54एम-194/2000, दिनांक-21.08.2019 द्वारा वर्तमान नाम-ट्राइविज इन्फ्राकान प्रा०लि०, 9सी, हिमान्यु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ (तत्कालीन नाम-मेसर्स साकेत निर्माण एफ०एफ०-7 ए०बी०सी० काम्पलैक्स 6 क्वाटन रोड कैसरबाग लखनऊ) को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर कम्पनी के पत्र दिनांक-04.09.2019 द्वारा दिया गया, जिसका परीक्षण कर मुख्य अभियन्ता, बस्ती क्षेत्र, लो०नि०वि० बस्ती के पत्रांक-433/117-वा०क्षे०/18, दिनांक-29.01.2020 द्वारा "मेसर्स अभ्युदय हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन

Son/ys (10-0)


2/18/20
EE
Smm

Q

कम्पनी के 04 निदेशकों में से एक निदेशक श्री अजन्त कुमार अग्रवाल है जो ट्राइविज इन्फ्राकान प्रा०लि०(तत्कालीन नाम-मेसर्स साकेत निर्माण) में साझेदार श्रीमती सुमन रानी अग्रवाल के पति एवं श्री प्रीयूष अग्रवाल के पिता हैं। और दोनों फर्म/कम्पनी संयुक्त उद्यम में कार्य कर रही है। इस प्रकार आपने आपसी मिली भगत से निविदा प्राप्त कर उक्त अनुबन्ध गठित कराया है। जिसके कारण निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त नहीं हुई, और राजस्व की हानि हुई है, इस प्रकार सम्पेक्षा द्वारा आपसी सांट-गांट कर निविदा प्राप्त किये जाने के कारण उक्त कम्पनी/उसके निदेशकों को 05 वर्ष के लिए डिबार किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः शासनादेश सं०-2365/एम०एस०/23-पी० डब्लू०-41एम० एस०/1954, दिनांक 24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र०, लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र सं०-362 एम०टी० जी०/70 एफ-68, दिनांक 08.10.1982 द्वारा निर्गत ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली एवं पंजीकरण से सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश सं०-4127 एम० एस०/23सा० नि०अनु०(7), दिनांक 02.12.1974 के अन्तर्गत अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने के कारण एवं मुख्य अभियन्ता, बस्ती क्षेत्र, लो०नि०वि० बस्ती के पत्र सं०-433/117-वा०क्षे०/18, दिनांक-29.01.2020 द्वारा की गई उपरोक्त संस्तुति के आधार पर ट्राइविज इन्फ्राकान प्रा०लि०, 9सी, हिमान्यु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ (तत्कालीन नाम-मेसर्स साकेत निर्माण एफ०एफ०-7 ए०बी०सी० काम्पलैक्स 6 क्वाटन रोड कैसरबाग लखनऊ) व उनके साझेदार/निदेशकों को लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यों से पांच वर्ष के लिए डिबार (Dibar) किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

उक्त आदेश प्रमुख अभियन्ता(परि०/नियो०), लो०नि०वि० उ०प्र० के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहे हैं।



(संतोष कुमार) 5/3/2020

मुख्य अभियन्ता (मु०-2),
लो०नि०वि०, लखनऊ

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, राष्ट्रीय मार्ग, पी०एम०जी०एस०वाई०, सेतु/वाह्य सहायतित इण्डो-नेपाल बार्डर, लो०नि०वि०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, बस्ती क्षेत्र, लो०नि०वि० बस्ती को उनके पत्रांक-433/117-वा०क्षे०/18, दिनांक-29.01.2020 के सन्दर्भ में।
5. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती वृत्त, लो०नि०वि०, बस्ती।
9. अधीशासी अभियन्ता, कम्प्यूटराइज्ड खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर लोड किये जाने हेतु प्रेषित।
10. अधीशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, बस्ती।
11. मेसर्स साकेत निर्माण एफ०एफ०-7 ए०बी०सी० काम्पलैक्स 6 क्वाटन रोड कैसरबाग लखनऊ (वर्तमान नाम-ट्राइविज इन्फ्राकान प्रा०लि०, 9सी, हिमान्यु सदन, 5 पार्क रोड, लखनऊ)।

पंजीकृत


वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(सा०),
लो०नि०वि०, लखनऊ